

द्वारा द्वारा
वन एवं पर्यादिरण दिनांक

स्वीकार संख्या-4 / योवंबर-64 / 2015 21 / हवा ० व० प० राँची, दिनांक- 30.03.2015

प्रेषक,

ए०के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली 'पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना' (जनजातीय क्षेत्रीय स्पयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों/उद्यानों का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण तथा पार्कों के निर्माण हेतु कुल 873.292 लाख (आठ करोड़ तिहात लाख उनतीस हजार दो सौ) रु० मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जाने वाली 'पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना' (जनजातीय क्षेत्रीय स्पयोजना) के अंतर्गत कुल रु० 1810.980 लाख (अठारह करोड़ दस लाख अनठानवे हजार) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यभवन उद्यान; नेपाल हाउस उद्यान; मूरी-टूंगरी पार्क, सिल्ली; जैव विविधता पार्क, राँची; दीन-दयाल पार्क, मोरहाबादी; अम्बेदकर पार्क, सिल्ली; वन भवन कैम्पस, डोरण्डा; घोड़ाबांधा पार्क, जमशेजपुर; भगवान बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क, राँची; जोन्हा फॉल, दशम फॉल एवं सिद्धु-कान्हू पार्क, दुमका इत्यादि सहित शहरी क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा रख-रखाव एवं पार्डीह चन भूमि, मानगो चन भूमि, गम्हरिया चन भूमि का घेरान के साथ सौन्दर्यीकरण इत्यादि कार्य प्रस्तावित है।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना के अधीन कुल 873.292 लाख (आठ करोड़ तिहात लाख उनतीस हजार दो सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वित की जाने वाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1) की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है:-

46 ✓ ✓ ✓ ✓

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iv	v	vi
1	विभिन्न पार्कों / उद्यानों एवं सड़क किनारे का सौन्दर्योकरण एवं रख-रखाव तथा पार्कों का निर्माण	648.071	225.221	873.292
	योग :-	648.071	225.221	873.292

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार / इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01—वानिकी लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 13—पथराट—रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना	03— मजदूरी	19P240601796130103	1078.100	648.071
	23— आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796130323	732.880	225.221
	कुल राशि—(आठ करोड़ तिहार लाख उनतीस हजार दो सौ रुपये)		1810.980	873.292

5. पथराट रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के संबंध में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक, कार्य योजना तैयार कर दिनांक 30 जून 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 10 जुलाई 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुशासा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमण्डलों में उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अनुमोदित करते हुए तत्संबंधी सूचना वन एवं पर्यावरण विभाग के उपलब्ध करायी जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची होंगे, जिनके द्वारा राशि की एक मुश्त निकासी संबंधित कोषगार से कोषगार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय विधमों के अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करते हुए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 'झारणक' को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके द्वारा इन योजनाओं का निर्धारित समय—सीमा के भास्तर नियमानुसार कार्यान्वयन कराया जाएगा।

7. वन प्रमण्डलों द्वारा 'स्थल विशेष प्राक्कलन' श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

1/2015-2016
1/2015-2016

9. इस योजना के नियत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. किये गये कार्यों का ऑकड़ों को वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सच्चना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागोथ पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, आरखण्ड, राँची से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य, जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. झारपार्क के द्वारा वन एवं पर्यावरण के संकल्प झापांक-3916, दिनांक-23.09.2012 के आलोक में 50 लाख रुपये तक की अधिसीमा के अंतर्गत विभागीय रूप से कार्य कराये जा सकेंगे।

इससे अधिक लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा अथवा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में नियमानुसार कराया जाएगा।

16. झारपार्क द्वारा कराये जा रहे कार्यों का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं वन एवं पर्यावरण विभाग को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा।

17. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससम्बद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व झारपार्क का होगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय सुनिश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21/वी.
01.07.2015

19. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

20. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. प्रस्ताव पर मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त ।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

झापांक -4/यो०ब०-६४/२०१५ । व०प०/राँची, दिनांक- ०१.०३.२०१५

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

झापांक -4/यो०ब०-६४/२०१५ । व०प०/राँची, दिनांक- ०१.०३.२०१५

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

वीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली “पश्चिम शैप्जन-झु-शहरी सामिटी” दोजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों एवं सड़क किनारे का सौन्दर्यीकरण कार्यों की विवरणी

(राशि लाख में)

नेकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
वी वन प्रमण्डल, रोची	राजभवन उद्यानय नेपाल हाउस उद्यानय मूरी-टूंगरी पार्क, सिल्लीय जैव विविधता पार्क, राँचीय दीन-दयाल पार्क, मोरहाबादीय अम्बेदकर पार्क, सिल्लीय वन भवन कैम्पस, डोरण्डाय घोड़ाबधा पार्क, जमशेलपुरय भगवान विरसा मुण्डा स्मृति पार्क, राँचीय जोन्हा फॉल, दशम फॉल एवं सिल्लु-कान्हु पार्क, दुमका इत्यादि सहित शहरी क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा रख-रखाव एवं पारडीह-वन भूमि, मानगो-वन भूमि, गम्हरिया वन भूमि का धेशन के साथ सौन्दर्यीकरण इत्यादि कार्य।	648.071	225.221	873.292
	योग :-	648.071	225.221	873.292

~~225.221~~
(एको रस्तागी)
सरकार के विशेष सविव।

31/स्वी०
01.07.2015